

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
“वित्त भवन” ए ब्लॉक, जनपथ, जयपुर-302006

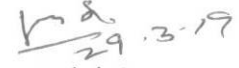
क्रमांक:- एफ.4(ई)एस-2820/2013/अलेसे-III/ 3347

दिनांक:- 29.03.19

कार्यालय आदेश

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित कार्मिक की कॉलम 06 अंकित आदेशों की प्रतीक्षा अवधि को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7(8)(बी)(III) के अंतर्गत एवं कॉलम 05 में अंकित चुनाव आदर्श आचार संहिता अवधि को वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ-1(1) वित्त (नियम)/2007 दिनांक 06.08.2018 के अनुसरण में नियमित करते हुए उक्त अवधि के वेतन आहरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. सं.	लिंक नं.	नाम/पदनाम	अवधि			विभाग/कार्यालय जहाँ से वेतन भुगतान किया जाना है:-
			आदेशों की प्रतीक्षा अवधि	चुनाव आदर्श आचार संहिता अवधि	आदेशों की प्रतीक्षा अवधि (आचार संहिता की अवधि को घटाते हुए।)	
1	2	3	4	5	6	7
1	11975	श्री सोनू सैन क.ले.	05.10.2018 से 17.12.2018 तक	06.10.2018 से 12.12.2018 तक	05.10.2018 एवं 13.12.2018 से 17.12.2018 तक (06 दिवस)	कोषाधिकारी (शहर), जोधपुर।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.4(ई)एस-2820/2013/अलेसे-III/ 3347

दिनांक:- 29.03.19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. कोषाधिकारी (शहर), जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिक का गत भुगतान प्रमाण पत्र प्राप्त कर वेतन भुगतान एवं पुस्तिका में इन्द्राज कराने की व्यवस्था करावें।
2. श्री सोनू सैन, कनिष्ठ लेखाकार, कोषालय (शहर), जोधपुर।
3. अतिरिक्त निजी सचिव निदेशक महोदय।
4. उप निदेशक, (एसीपी) कम्प्यूटर पीआईएस रिकार्ड संधारण हेतु।
5. पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट/गोपनीय शाखा।


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)